न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.

मि0न0 – 31/2020 (2020/00145)

अनवान : –

1. नितेश पुत्री जयनारायण जाति जाट निवासी बीड भादरा।
2. पुजा पुत्री जयनारायण जाति जाट निवासी बीड भादरा। – प्रार्थी

बनाम

1. जयनारायण पुत्र तोखरराम जाति जाट निवासी बीड भादरा।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। –अप्रार्थी

प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री धर्मपाल बैरवाल वकील प्रार्थी
श्री मुन्शीराम गोस्वामी वकील अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के खिलाफ इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी की रोही मोजा चक 1 डीपीएन के खाता सं0. 121/43 के मु.न. 59 के किला नं. 1 ता 25 कुल किता 25 की 6.3250 हैक्टर जिसमें 6.20000 हैक्हर नहरी, 0.1250 हैक्टर गै.मु. खाला में प्रतिवादी जयनारायण के नाम 172 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। प्रार्थनापत्र में वर्णित वाद भूमि जयनारायण को विरासतन अपने पिता तोखराम से प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। परन्तु अप्रार्थी जयनारायण जबरिया काबिज होकर उसे अनजबी व्यक्तिको हस्तांतरण कर काबिज करवाने की धमकी दे रहे है ऐसे में अप्रार्थी के खिलाफ का फैसला अर्जीदावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादभूमि को रहन, बैय का दीगर तरीके से हस्तान्तरण नही करें तथा मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हुआ अप्रार्थीगण ने जवाबदरख्वास्त पेश किया और अंकन किया कि वाद कृषि भूमि विरासतन प्राप्त नहीं हुई है, अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है, जो अप्रार्थी ने दिनांक 20.11.1978 को सवाईसिंह से जरिये बैयनाम खरीद की थी, वादभूमि में प्रार्थी किसी भी प्रकार से कोपार्सनर नहीं है तथा प्रार्थी अपने अपने ससुराल में रहती है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी की किसी प्रकार की कोई दखल नहीं है। वादभूमि में अप्रार्थी जवाबदेहिन्दा के जीतेकाल में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा या हित नहीं है, इसलिए वाद भूमि पर किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने अपने मामा के प्रभाव में आकर उक्त दावा व दरख्वास्त महज अप्रार्थी को नाहक तंग परेशान करने के लिए गलत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

आकर उक्त दावा व दरख्वास्त महज अप्रार्थी को नाहक तंग परेशान करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर दरख्वास्त पेश की है। अप्रार्थी ने ना ही किसी प्रकार ऋण अदा किया है व ना ही प्रार्थी को किसी प्रकार का व्यसन है। अप्रार्थी जवाबदेहिन्दा के एक मात्र पुत्र था जिसका देहान्त हो गया है जिसके बाद अप्रार्थी बीमार रहने लग गया था। अप्रार्थी की बीमारी पर काफी रूपये खर्च होते है तथा अप्रार्थी बीमार रहने से अप्रार्थी को अपने ईलाज के लिए रूपयों की जरूरत है। एवं ग्अप्रार्थी को जीवन व्यापन एवं अपनी ईलाज आदि के लिये रूपयों की जरूरत पड़ती है, वादभूमि जो गैरप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है पर स्थगन जारी होने से केसीसी व फसल बीमा आदि सुविधा नहीं ले पा रहा है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वाद भूमि जयनारायण को विरासतन अपने पिता तोखराम से प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। परन्तु अप्रार्थी जयनारायण जबरिया काबिज होकर उसे अनजबी व्यक्तिको हस्तांतरण कर काबिज करवाने की धमकी दे रहे है ऐसे में अप्रार्थी के खिलाफ का फैसला अर्जीदावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादभूमि को रहन, बैय का दीगर तरीके से हस्तान्तरण नही करें। एवं वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि विरासतन प्राप्त नहीं हुई है, अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है, जो अप्रार्थी ने दिनांक 20.11.1978 को सवाईसिंह से जरिये बैयनाम खरीद की थी, वादभूमि में प्रार्थी किसी भी प्रकार से कोपार्सनर नहीं है तथा प्रार्थी अपने अपने ससुराल में रहती है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी की किसी प्रकार की कोई दखल नहीं है। वादभूमि में अप्रार्थी जवाबदेहिन्दा के जीवनकाल में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा या हित नहीं है, इसलिए वाद भूमि पर किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया माननीय न्यायालय द्वारा जारी न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान ने अपने अपने प्रार्थना–पत्र व जवाब के तथ्यों के दोहरान अस्थाई निषेधाज्ञा में तीन बिन्दु को देखा जाता है प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के विवाद्यक निस्तारण में प्रथम दृष्टया मामला साबित करना होता है वादभूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज होने से पक्षकारान की सहमती है व प्रार्थी की पैतृक भूमि होना साबित नहीं पाया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि वाद कृषि भूमि अप्रार्थी की क्रय की हुई स्वअर्जित भूमि है जिस पर प्रार्थी का कोई हक या हित निहित नहीं है, जिसके दस्तावेज प्रस्तुत किये।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, बैयनामा, शपथ पत्र का अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं आरभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

प्र.सं. 31/20 नितेश बनाम जयनारायण

1 **प्रथम दृष्टया मामलाः**—प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने जयनारायण के वारिस के तौर पर खातेदारी अधिकारों का दावा किया है। वादभूमि में अप्रार्थी सं0 1 की स्वअर्जित भूमि भी शामिल है। पैत्रृक कृषि भूमि में वाद से पूर्व ही प्रार्थीगण का हिस्सा दर्ज हो चूका है। इसलिए हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार स्वअर्जित सम्पति में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा प्रार्थी इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

2 **सुविधा का संतुलनः**— अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही अप्रार्थीगण ने यह प्रस्तुत किया कि उक्त आराजी में मिन की स्वअर्जित सम्पति भी शामिल है। अप्रार्थी सं0 1 जयनारायण की उक्त वाद भूमि स्वअर्जित सम्पति होने के कारण यदि अप्रार्थी किसी भी रूप में वाद भूमि का उपयोग—उपभोग करें तो प्रार्थी को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में और प्रार्थी के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**— उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के विरूद्व साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि में अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी के हकों का निर्धारण विचाराधीन वाद में गुण अवगुण के आधार पर किया जावेगा।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति साबित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट को खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपयुर्क्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 01/4/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़